78/17 2017/00176

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(राजस्व लोक अदालत / कैम्प मुख्यालय सैपऊ)

पीठासीन अधिकारी –विनोद कुमार मीना आर0 ए0 एस0

प्रकरण संख्या– 78 / 2017

1–पीतमसिह 2–गोपालसिह पुत्रगण रामस्वरूप जातिगण लोधा निवासीयांन रजौराकलॉ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

---------वादीगण

बनाम

1–पोथी 2–हाकिम पुत्रगण मिहीलाल 3–रूमा पत्नी रूपसिह 4–शिवसिह 5–वासदेव पुत्रयांन रूपसिह जातिगण लोधा निवासीगण रजौरा कलॉ तहसील सैपऊ
6–भूरीसिह पुत्र करनसिह जाति बघेला निवासी रजौराकलॉ तहसील सैपऊ

..........प्रतिवादीगण

7–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

..........तरतीवी प्रतिवादी

वाद वास्ते बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53,188 आरटीए

उपस्थिति–
1–पीतम,गोपाल ....(वादीगण)
2–पोथी ....(प्रतिवादी)

निर्णय **दिनांक** : 15.06.2018

वादीगण की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण विवादित आराजी खसरा नम्बर 518, 878, 881, 882, 552, 880 स्थित वाके ग्राम रजौराकलॉ तहसील सैपऊ का वास्ते बटबारा काश्त न्यायालय में प्रस्तुत किया जो उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर दिनांक 25.05.2018 को प्रारंभिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी का वाई मीटस एण्ड वाउण्डस बटवारा किया जाकर तहसीलदार सैपऊ को पक्षकारों के हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया ।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा मुख्यालय सैपऊ कैम्प के दौरान विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये। पक्षकार उपस्थित । प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का वादीगण एंव प्रतिवादीगण को अवलोकन कराया । उपस्थित पक्षकारों ने प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को सही होना स्वीकार किया तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है । तहसीलदार सैपऊ ने प्रेषित विभाजन आदेशानुसार ही तैयार

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत ....

कर भिजवाये है । इस प्रकार तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के हिस्से अनुसार ही हैं। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिकी करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम रजौरा कलॉ तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :–

1–पीतमसिह, गोपालसिह पिसरान रामस्वरूप जाति लोधा निवासी रजौरा कलॉ तहसील सैपऊ

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	552	1.03 सम्पूर्ण
योग	1	1.03

2–शिवसिह, वासदेव पुत्रांन व रूमा पत्नी स्व0 रूपसिह जाति लोधा निवासी रजौराकलॉ तहसील सैपऊ

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	518	0–18 सम्पूर्ण
	880	0–18 सम्पूर्ण
	881/1	0–07 पश्चिम
योग	3	2–03

3–भूरीसिह पुत्र करनसिह जाति बघेला निवासी रजौराकलॉ तहसील सैपऊ

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	878/1	0–09 उत्तर
योग	1	0–09

4–हाकिमसिह पुत्र मिहीलाल जाति लोधा निवासी रजौराकलॉ तहसील सैपऊ

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	878/2	1–03 मध्य
	881/2	0–03 अत्तर पूर्व
	882/1	0–09 उत्तर
योग	3	1–15

5–पोथी पुत्र मिहीलाल जाति लोधा निवासी रजौराकलॉ तहसील सैपऊ

क0सं0	ख0नं0	रकवा

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

1.	878/3	0–13	दक्षिण
	881/3	0–03	दक्षिण पूर्व
	882/2	0–09	दक्षिण
योग	3	1–05	

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरों के वावत् नियमानुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करने के उपरान्त ही नामा0 की कार्यवाही करें । लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिकी जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 15.06.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
राजस्व लोक अदालत
मुख्यालय सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
ग्राम ...... सैपऊ